फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर

रोशनी बनाम देवी सिंह वगै०

केस संख्या 15/20

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	27/7/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील ~~[illegible]~~ प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त पुत्री/मित्र को जबरन बेदखल करना चाहता है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुकदमा खातेदारी से संबंधित है। पक्षकारों के मध्य का मामला होना है। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः उभयपक्षों को आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा के पारित किया जाता है कि ग्रा. ग्रा. खसरा नंबर 252 रकबा 0.41 है, 252 रकबा 0.10 हैक्टेयर के शामिल ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

सहायक कलेक्टर

आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma

Date: 2022.10.12 11:47:29 IST

Reason: SelfAttested